<u> १ अापराधिक प्रकरण कमांक ३३४ / २०१६</u>

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 334 / 2016 संस्थापित दिनांक 23 / 06 / 2016 फाईलिंग नम्बर – 3007622016

Est Pafel

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

बनाम

. मोहकम पुत्र गिरवर जाटव उम्र 37 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम रूरी का पुरा पुलिस थाना गोहद,जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—354 एवं 323भा0द0स0) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री बाबूराम चौरसिया।)

<u>::- नि र्ण य -::</u>

(आज दिनांक 16/01/17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 04/03/16 को 12:00बजे अभियोक्त्री के चने के खेत कठवा हाजी मोजा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने एवं उसी समय अभियोक्त्री की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहृति कारित करने हेतु भादस की धारा 354 एवं 323 के अंतर्गत आरोप हैं।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04/03/16 को दिन के करीबन 12:00बजे अभियोक्त्री अपने चने वाले खेत पर गई थी वहां पर आरोपी मोहकम सिंह आया थां। आरोपी न अभियोक्त्री से कहा था कि वह खेत पर क्यों आई है अभियोक्त्री ने कहा था कि वह गाय भगाने आई है तभी आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया था। अभियोक्त्री ने हाथ छुडाया था तो उसने अभियोक्त्री को धक्का दे दिया था जिससे वह गिर पड़ी थी और उसके बाये हाथ की कोहनी एवं कंथे पर चोट आ गई थी उसके चिल्लाने पर मौके पर गजराज सिंह एवं अमर सिंह जाटव आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। अभियोक्त्री की रिर्पाट पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0क065/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गयाथा विवेचना के दोरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गयाथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में

विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

- 4. यह उल्लेखनीय हैकि प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा आरोपी से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0द0स0की धारा 354 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :--
- 1. क्या आरोपी ने दिनांक04/03/16 को 12:00बजे अभियोक्त्रों के चने के खेत कढवा हाजी मौजा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री आ0सा01 एवं नरेन्द्र सिंह आ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त कियाहै कि घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग एक डेढ साल पहले दिन के 12–1 बजे की है वह गाय भगाने अपने खेत पर गई थी तो आरोपी मोहकम सिंह से उसका मुंहवाद हो गया था अन्य कोई बात नहीं हुई थी उसने इसी बात की रिर्पोट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी01 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था नक्शा मौका प्र0पी02 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोहकम ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया हैकि जब उसने अपना हाथ छुडाया था तो मोहकम ने उसे धक्का दे दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिर्पोट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन प्र0पी03 में पुलिस को लिखाई थी।
- 8. साक्षी नरेन्द्र सिंह आ०सा०२ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग एक डेढ साल पहले दिन के 12—1 बजे की है। उसकी पितन मालती का आरेापी मोहकम से गाय भगाने के उपर मुंहवाद हो गया था अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया हैकि मोहकम ने उसकी पितन का बुरी नियत से हाथ पकड लिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया हैकि मोहकम ने उसकी पितन को धक्का दे दिया था।
- 09. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः आरोपी को उक्त अपराध मे दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

11. इस प्रकार अभियोक्त्री आ०सा०१ एवं नरेन्द सिंह आ०सा०२ द्वारा अभियोजन घाटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकडा था । उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 12. यह अभियोजन का दायित्व हैिक वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करें यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 04/03/16 को 12:00बजे अभियोक्त्री के चने के खेत कठावा हाजी मौजा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी मोहकम जाटव को भादस की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 14. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

15. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं। स्थान – गोहद दिनांक –16 –1–2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित मेरे नि कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

लिया था।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)